मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक लाख पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया

उन्होंने नवीन युवा नीति-2026 एवं राजस्थान रोजगार नीति-2026 जारी की

जयपुर, 12 जनवरी। सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि युवा शक्ति को नमन करने का दिवस है, जिसने हर युग में राष्ट्र की दिशा बदली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहली बार युवाओं को प्रदेश के बजट निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं को गत सरकार के समय होने वाले पेपरलीक से मुक्ति दिलवाकर दोषियों को पकड़ा है। साथ ही, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 351 परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के पूरी करवाई हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को सौगात देते हुए भर्ती परीक्षा कैलेण्डर 2026 जारी किया। इस कैलेण्डर में लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल दिया गया है, जिसके अनुसार युवा परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राजस्थान युवा नीति-2026 भी जारी की। इस नीति के तहत शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहली बार युवाओं को प्रदेश के बजट निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया गया है।**

शर्मा ने कार्यक्रम में राजस्थान रोजगार नीति-2026 भी जारी की। इस नीति के तहत रोजगार और उद्यमशीलता पर केन्द्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा।

संसद : 29 को आर्थिक सर्वेक्षण, 1 फरवरी को बजट

नयी दिल्ली, 12 जनवरी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो चरणों में दो अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 30 बैठकें होंगी। राज्यसभा सचिवालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाया है। सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को मुर्मू संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में रखा जायेगा और रविवार, एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी चलेगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की 13-13 बैठकें होंगी।

प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाई

अहमदाबाद, 12 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने सोमवार को गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में साथ मिलकर पतंग उड़ाईं। यह नजारा भारत-जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया। फ्रेडरिक मर्ज़ प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

■ **मोदी और फ्रैडरिक मर्ज़ ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया।**

दोनों नेता सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ के पतंग उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से बातचीत की और भारत-जर्मनी की साझेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए।

'प्र.मंत्री मोदी व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का मेल है। पिछली बार डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अपनी पिछली यात्रा और भारत के महान प्रधानमंत्री के साथ अपनी गहरी दोस्ती को याद किया। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही, शायद अगले एक-दो साल में, भारत आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को सुबह दो बजे फोन करने की आदत है और नई दिल्ली के समय अंतर को देखते हुए यह ठीक भी बैठ सकता है।''

गोर ने भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनका इरादा एक महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाने का है।

उन्होंने कहा, ''भारत से ज्यादा जरूरी कोई और पार्टनर नहीं है। आने वाले महीनों और वर्षों में, एक राजदूत के रूप में मेरा लक्ष्य एक बहुत महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाना है। हम इसे सच्चे रणनीतिक साझेदार के रूप में करेंगे, जहां दोनों देश मेज पर अपनी ताकत, सम्मान और नेतृत्व लेकर आएंगे।'' भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत को लेकर गोर ने माना कि यह एक मुश्किल काम है, लेकिन वे इसे अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ हैं।

गोर ने यह भी घोषणा की कि भारत पैक्स सिलिका गठबंधन का सदस्य होगा। उन्होंने कहा, ''मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को इस समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा।''

पैक्स सिलिका गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, मजबूत और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है।

ट्रंप बने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपहरण किया गया है। चीन, रूस, कोलंबिया और यहां तक कि स्पेन ने भी अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है।

ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं और नियंत्रित बदलाव की जरूरत के चलते अमेरिका अस्थाई रुप वेनेज़ुएला को ''चलाएगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि इस अंतरिम अवधि में अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल की निगरानी करेगा और उसे वैश्विक बाजारों में बेचेगा।

वेनेज़ुएला के भीतर, मादुरो की दूसरे नम्बर की अधिकारी डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रोड्रिगेज़ ने अमेरिका के अधिकार के दावों को खारिज किया, मादुरो की रिहाई की मांग की और उन्हें देश का असली नेता बताया।

ममता बनर्जी गिरफ्तार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वालों की गिरफ्तारी का प्रावधान है। राज्य की मुख्यमंत्री न केवल आई-पैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास में दाखिल हुईं, बल्कि उन्होंने कैमरे के सामने वह सामग्री भी दिखाईं, जिसे वे वहां से ले गई थीं। कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति छापेमारी वाले स्थल में प्रवेश तक नहीं कर सकता, सामग्री ले जाना तो दूर की बात है। राज्य पुलिस अधिकारियों ने भी छापेमारी वाले परिसरों में प्रवेश किया और ईडी अधिकारियों द्वारा सामग्री जब्त किए जाने की प्रक्रिया में बाधा डाली, जबकि ईडी ने उन्हें तलाशी और जब्ती के वारंट तथा अपनी पहचान दिखा दी थी। इसके अलावा, सत्तारूढ़ दल के कथित गुंडों ने ईडी अधिकारियों और उनके वकीलों को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया, जहां ईडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की और मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले दायर किए। हालांकि, ईडी की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ इन शिकायतों के बावजूद कुछ राजनीतिक हलकों का कहना है कि केन्द्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री के प्रति नरम रुख अपनाया और उन्हें छापेमारी वाले परिसरों में प्रवेश करने तथा महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले जाने की अनुमति दी।

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का प्रतीक है। शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आ ान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ कर्मशील होने तथा जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें, ताकि देश और प्रदेश उन्नति के नए शिखर को छू सके।

जोर पकड़ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योजना ''शक्ति का केन्द्रीकरण करती है, लेकिन जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देती है।'' द्रेज़ ने कहा, ''नए कानून के तहत केन्द्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाता है कि योजना कब और कहां लागू हो, फंडिंग की सीमा क्या रहे तथा वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी जाये। इसके अलावा, यदि योजना बंद कर दी जाती है, तो काम न देना गैरकानूनी नहीं माना जायेगा।

'परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत को बताया कि एसआईटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर एकलपीठ ने भर्ती रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था, क्योंकि एसआईटी ने परीक्षा रद्द करने के टास्क के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट दी थी। बाद में एसआईटी ने मामले में पुनर्विचार कर अपनी दूसरी रिपोर्ट दी, जिसमें माना गया कि दोषियों की छंटनी संभव होने के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी अधिक नहीं है तो परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। इसके अलावा यह मामला व्यापक स्तर पर नकल का नहीं है। भर्ती में 421 अभ्यर्थियों का आरएएस भर्ती में भी चयन हुआ है। खंडपीठ को यह भी बताया गया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों में से कई डमी अभ्यर्थी हैं। ऐसे में यह मामला न तो व्यापक स्तर पर नकल का बनता है और न ही पेपर लीक का। इसके अलावा तत्कालीन आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा ने भी किसी गैंग को पेपर देने के बजाए, व्यक्तिगत स्तर पर ही पेपर दिया था। इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए।

एसआई भर्ती पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर रिहा करना उचित है।

जमानत याचिकाओं में अधिवक्ता प्रिंस पाल सिंह व अन्य वकीलों ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को मामले में फंसाया गया है। विनोद कुमार गत 28 अगस्त, कैलाश कुमार गत 19 सितंबर, परमेश चौधरी 23 सितंबर और मंगलाराम गत 27 सितंबर से जेल में बंद है। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने मामले में अनुसंधान पूरा कर अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया है। इसके अलावा सह आरोपियों को पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है। याचिकाओं में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने कैलाश कुमार और परमेश चौधरी के खिलाफ पेपर खरीदने, मंगलाराम पर अपनी जगह अन्य को परीक्षा में बैठाने और विनोद पर पेपर खरीदने व बेचने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के पास इस संबंध में कोई भी कड़ीबद्ध साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी विनोद लंबे समय से फरार रहा है। वहीं कैलाश व मंगलराम ने पेपर खरीदे हैं। इसलिए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यक्रमों के दौरान धनखड़ कई बार बेहोश हो चुके हैं, जिनमें कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं। धनखड़ या उनके परिवार की ओर से उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

'जीवनपर्यंत मुख्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय समिति के जरिए होनी चाहिए। यह समिति राष्ट्रपति को नाम सुझाएगी और राष्ट्रपति उन नियुक्तियों की मंजूरी देंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि संसद जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून नहीं बनाती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

21 दिसंबर 2023 को केन्द्र सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया कानून बनाया। इस कानून में तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटा दिया गया, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के 2023 के उस फैसले को कमज़ोर करता है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष वाली समिति के आदेश दिए गए थे।

■ **पर इस नई व्यवस्था का भारी विरोध किया था विपक्ष ने और सरकार की नीयत पर कई आरोप लगाये थे।**

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908